न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आंगनवाड़ी अपील वाद– 62/2010–11

माधुरी देवी बनाम राज्य एवं सरिता कुमारी उर्फ कुमकुम देवी

आदेश

29.7.15 प्रस्तुत अपील अपीलार्थी माधुरी देवी, पति– स्व0 खेलन झा के द्वारा मान्नीय उच्च न्यायालय पटना में दायर C.W.J.C. 13505/08 में पारित आदेश के आलोक में दाखिल किया गया है।

मान्नीय उच्च न्यायालय में पारित आदेश निम्नप्रकार है।

Writ application disposed of with liberty to the petitioners to file their appeal/ representation before the Collector and/or to this their revision before the commissioners

अपीलार्थी का कहना है कि आवेदिका ग्राम पंचायत फुलवरिया वार्ड नं0–11, थाना– सिमरीबख्तियारपुर की स्थायी निवासी है। विधवा एवं निःसहाय महिला है। ग्राम पंचायत बघवा में आंगनवाड़ी सेविका हेतु विज्ञापन निकला था। आवेदिका अर्हता प्राप्त थी इसलिए आवेदिका ने आंगनवाड़ी सेविका पद पर चयन हेतु आवेदन दिया।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सिमरीबख्तियारपुर सेविका/सहायिका के चयन मनमाने तरीके से करना चाहती थी, जबकि ग्राम पंचायत के मुखिया सेविका/सहायिका का चयन मार्गदर्शिका के अनुरूप चाहते थे। अन्त में नियम के विपरीत कार्रवाई के लिए मुखिया की सहमति नहीं मिलने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी महोदया ने बंद कमरे में उप मुखिया को अध्यक्ष बनाकर विपक्षी 4 का चयन कर दिया गया। जबकि, सरिता कुमारी एवं कुमकुम देवी दो व्यक्ति है। दोनों एक हीं पिता के पुत्री है तथा सरिता कुमारी की मृत्यु के पश्चात सरिता कुमारी का प्रमाण पत्र लेकर कुमकुम देवी अपने नाम में उर्फ जोड़कर न सिर्फ धोखाधड़ी किया बल्कि पूर्णतया गैर कानूनी है। विपक्षी 4 के चयन के पश्चात मान्नीय उच्च न्यायालय में रीट दायर किया गया, जिसमें पारित आदेश के आलोक में अपील दायर किया गया।

अपीलार्थी एवं राज्य को सुना। प्रतिपक्षी से अभिलेख प्रत्युत्तर अप्राप्त है। संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। अपीलार्थी के अपील का मुख्य आधार यह है कि पंचायत के मुखिया सेविका/सहायिका का चयन मार्गदर्शिका के अनुरूप चाहते थे, लेकिन मुखिया की सहमति नहीं मिलने पर बाल विकास पदाधिकारी ने उप मुखिया को अध्यक्षा बनाकर सरिता कुमारी का चयन किया गया।

अपीलार्थी के उक्त कथन की सत्यता की जॉच हेतु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा के जॉच प्रतिवेदन दिनांक– 17.11.2008 जो ज्ञापांक 410 दिनांक– 17.11.2008 से निर्गत है अवलोकन किया गया। इन्होंने अपने जॉच प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि मुखिया एवं उनके अधीनस्थ पंचायत सचिव के असहयोगात्मक रवैये के कारण ही उपमुखिया एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त दूसरे पंचायत सेवक के द्वारा आम सभा सम्पन्न करा कर चयन की प्रक्रिया पूरी की गई। उक्त जॉच प्रतिवेदन से असहमत होने का कोई आधार नहीं हैं। चयन प्रक्रिया वैध है। अपील आवेदन पत्र खारीज किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

30.7.2015

जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

ज्ञापांक 1995-2/जिला विधि, सहरसा, दिनांक– 31 जुलाई, 2015 ई. ।

प्रतिलिपि– जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०), सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर, को निम्न न्यायालय अभिलेख संलग्न करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिले के बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

31/7/15

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

31.7.15

C:\Documents and Settings\NIC-HP\Desktop\Order\Order of Madhuri Devi.docx